



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इंदौर

518, न्यू सोनी बंगला, एच.जी. रोड, इंदौर- 452007

दूरभाष: 0731-2432822, फ़ोन: 0731-2538600

ईमेल: comptent@mp.gov.in वेबसाइट: <http://labour.mponline.gov.in>

क्रमांक 227/बीएस/नवम/प्रवर्धन/2024/ 4157 -356

इंदौर, दिनांक 18/02/24

प्रति,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष,
- (2) समस्त जिलाध्यक्ष,
- (3) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय- न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन बारे, एरियर भुगतान बाबत।

उक्त विषयसंबंधित अम विभागीय, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (ब.प्र.अमाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित निचोड़नी में सिंबोसित धर्मियो/कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पुनरीक्षित की गई थी: (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)

उक्त अधिसूचना के विरुद्ध दि. मध्यप्रदेश टैक्सट्राईल मिन्स एम्प्लोयिन्स एण्ड अन्य कार्मिकार्यालयों द्वारा मामलीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP.10772/2024, नं. 9401/2024, नं. 11921/2024 एवं नं. 12606/2024 दायर की गई: मामलीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर ने पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं महर्षिज आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा अम विभाग, जोगपाल की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन बारे की प्रस्तावभंगिता पर न्यूनतम दिनांक रखा था।

उपरोक्त मामलीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिकाके-पर दिनांक 10.02.2025 तथा दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश अनुसार अम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन बारे, समक-समय पर देय एरियरतरीय भंडाई अन्ते महिन पुनः प्रस्तावनीय हो गई है।

न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 6891 दिनांक 28.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्पष्टि स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन दरों के संबंध में सम्बन्धित पर जारी परिपत्र/अतिवृत्तनाम जाति विभागीय वेबसाइट/पोर्टल labour.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः उपरानुसार दिनांक 01 अक्टू, 2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिधानशील बहादाई एवं अतिरिक्त वेतन न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों/आइएमओई कर्मचारियों को कराया जाना अपेक्षित है। यदि उपरानुसार अवधि हेतु वेतन के संबंध में कोई परिपत्र की गति कार्रगी है तो उस गति का प्रस्ताव बनाने का अनुरोध है।

(संलग्न - उपर्युक्तानुसार)


क्रमांक 227/अर्थ सा/परग/प्रवर्तन/2024/439-444
प्रतिनिधि:

1. सचिव, महाप्रदेश जागत, धर्म विज्ञान, संसाधन, अंतराज की ओर सुपरवाई करेणिस।
2. सम्बन्ध महाप्रदेश परमावृत्ता धर्म पराधिकारी/ महाप्रदेश धर्म पराधिकारी, धर्म निर्माण (स.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संसाधनक सम्बन्ध संकुल संसाधनक उध संसाधनक महाप्रदेश संसाधनक-वैधानिक सम्बन्ध एवं सुरक्षा (स.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
(संख्या 6891)
धर्मवृत्त
महाप्रदेश, इंदौर

इंदौर, दिनांक 18/11/2024

Handwritten signature
धर्मवृत्त
महाप्रदेश, इंदौर





श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मॉडेल बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन - 0731- 2432822)

फैक्स 0731-2536600 ईमेल icmwpwages@mp.gov.in

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891

इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

परिपत्र

विषय -याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

-0-

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरुद्ध दि मध्यप्रदेश टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"15. Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

16. It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (न.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, एवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोड़कर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी दिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, निबन्धित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

- 1- अनुक्रमांक 36(क) - किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन
- 2- अनुक्रमांक 59(क) - किसी एवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन
- 3- अनुक्रमांक 73 - किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त पंक्तिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिये न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(प्रवीण सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025
प्रतिलिपि -

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनायें।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक-कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुस्तकालय विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/तमसा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
- 4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- समस्त मुख्य कार्यापालक अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 10- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
- 11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 12- सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।
- 14- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 15- लेबर व्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश) ।
- 16- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 18- प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं श्रम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 19- समस्त श्रम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024

एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन

आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरवत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/पाच/2024/ 14567-8/6

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में विहित प्रावधान, सहित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के नियंत्रित औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंजूरई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कृषिपट्टा नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2024/ 14567-816 दिनांक 22.05.24 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छ: माही का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर $(400-386)=14$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुयायित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के माल से रुपये $(25 \times 14)=350/-$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्धकृशल, कृशल एवं उच्च कृशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-241)=159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 159)=3975/-$ प्रतिमाह या $(3975 \div 26)$ रुपये 152.88 प्रतिदिन एवं अर्द्धकृशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-253)=147$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 147)=3675/-$ प्रतिमाह या $(3675 \div 26)$ रुपये 141.35 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, शोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/82/वि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-82/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं क्लर्कियों के लिये दैनिक वेतन की दर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

अनुसूची - 3

इस अनुसूची में निर्धारित की गई हैं कि एक एक वैशेषिक लेखा को जिसमें परिवर्तनशील मामलों अलग अलग अंकित किए हैं (अंकित नहीं हैं)

अनुसूची क्रमांक		वैशेषिक लेखा का नाम		कुल लेखा		वैशेषिक लेखा का नाम	व्ययिता	अनुसूची क्रमांक		वैशेषिक लेखा का नाम		कुल लेखा		वैशेषिक लेखा का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0500	250.00	337	417.55	5875	177.45	328	अनुसूची	0500	250.00	3375	141.35	10175	195.55	391
0507	271.42	3425	335.45	10355	170.55	411	अनुसूची	0507	271.42	3075	152.88	11075	474.51	324
0455	521.42	3577	374.42	10007	467.25	464	कुल	0455	324.42	3975	157.88	12675	477.31	477
0533	571.42	3675	374.42	11350	511.25	510	अनुसूची	0533	374.42	4475	151.88	13475	527.31	527

व्याख्या -

- अनुसूची क्रमांक में दिए गए लेखा को अनुसूची का अनुसूची क्रमांक देना है कि एक एक वैशेषिक लेखा को जिसमें परिवर्तनशील मामलों अलग अलग अंकित किए हैं (अंकित नहीं हैं)।
- अनुसूची क्रमांक में दिए गए लेखा को अनुसूची क्रमांक देना है कि एक एक वैशेषिक लेखा को जिसमें परिवर्तनशील मामलों अलग अलग अंकित किए हैं (अंकित नहीं हैं)।
- अनुसूची क्रमांक में दिए गए लेखा को अनुसूची क्रमांक देना है कि एक एक वैशेषिक लेखा को जिसमें परिवर्तनशील मामलों अलग अलग अंकित किए हैं (अंकित नहीं हैं)।

(आचार्य कुमार सिंह)
 अध्यक्ष,
 12 नवंबर, 2011

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजित जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजित	भाग - एक
1	किसी फायर जिमींग एवं फोसेटिंग कारखाने में नियोजित	
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजित	
3	किसी जमीन के निर्माण या सन्नाह या मकान निर्माण कार्य में नियोजित	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजित	
5	किसी इन्जीनियरिंग ड्राइंग में नियोजित	
6	किसी विद्युत कार्य के निर्माण तथा संभरण में नियोजित	
7	किसी कर्मिक तथा फार्मस्पृष्टिकर में नियोजित	
8	किसी आरा मिला में नियोजित	
9	किसी टेल मिला में नियोजित	
10	किसी फायल मिला या आटा मिला या दाल मिला में नियोजित	
11	किसी मुरा पीका निर्माण में नियोजित	
12	किसी खाद्य पदार्थों में जिसमें केक, पिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्कीम, आईसक्रीम सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजित	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर चिसने के कार्य में नियोजित	
14	किसी दूकान, इण्डियन हॉस्पिटल, आवासीय होटल, रेस्टॉरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजित	
15	किसी मृदाशास्त्र में नियोजित	
16	किसी सीमेंट पॉल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजित	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजित	
18	किसी स्मूथ लॉक में नियोजित	
19	किसी छूना भट्टे में नियोजित	
20	किसी ईंट भट्टे में नियोजित	
21	किसी पीपलस/जिसमें सायडिंग एवं फोसेटिंग भी सम्मिलित है, में नियोजित	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजित	
24	किसी खाणकारी उत्पादन में नियोजित	
25	किसी भारतीय जिसमें रिफ्रेजरी सामान, वायररिक्स, सेलिटरी वॉशर, इन्सुलेटरी, टाईन्स, (सीमेंट से निर्मित टाईन्स को छोड़कर) स्टार वॉशर, फव्वेस, लुईनिंग डिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजित	
26	किसी सॉल्वेंट निर्माण कार्य में नियोजित	
27	किसी क्लॉथ, फोटेन, निर्माण, क्लॉथ में नियोजित	
28	किसी कच्चा उद्योग में नियोजित	
29	किसी रसायन गैस से निर्माण में नियोजित	
30	किसी इस्फुरी उद्योग में नियोजित	
31	किसी खनिज में नियोजित	
32	किसी टाईन्स, जिसमें गैंगलोर, टाईन्स, अतालावाद टाईन्स तथा अन्य स्थानीय भाग में प्रचलित टाईन्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईन्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजित	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा 4(क) में परिभाषित की गई है, लागू होती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य परिधि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजित	
34	किसी फायरफेड उत्पादन जिसमें परतले कन्ट तथा विद्युत विज्ञान (टेकनाइकल) एकीकृतता सम्मिलित है, में नियोजित	

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिसमें कॉमिंग सेक्टर भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमाड) घरन विनियोगात्मक में नियोजन
39	किसी बटवले जैसे कांकड़, मुरत, लोडिंग, बोल्डर, चायले शिंगल, सफाकरण रेली, बिनिडिंग स्टोन, रोड मेटल, अथे कुलम, अथे और सडुंग स्टोन तथा अन्य खदान जी 'बाम अधिनियम की धारा 3 के अधीन लुट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी अंशमीयकृत कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित मंत्रालय में नियोजन
41	किसी वेकरी में नियोजन
42	किसी कॉलेज स्टीज (सैलंगार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी अवसथानी या किसी अन्वोधनयुक्त
48	किसी अधिगता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेजर कटिंग सोलू या स्प्री पार्कर में नियोजन
50	किसी डबोक या पेस्ट्रीसाईड (कीटनाशक दवा) के डिनिशन में नियोजन
51	किसी ड्रिनिंग प्रवाहन या ट्यूबवेल के अन्वोधन में नियोजन
52	किसी इमेनट्रीनिक्स या सडुंग कार्य में नियोजन
53	किसी पेटोल या हीजल पम्पी में नियोजन
54	जिटी के किसी बूटाई कार्य में नियोजन
55	किसी नीने और घांटी की वस्तुओं के डिनिशन में नियोजन
57	किसी अंश रिक्ता और टेम्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विमान संचालक, उपभोगता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजबरी में नियोजन
60	किसी समुन निगम (जिसमें डिटरजेंट भी सम्मिलित है) में नियोजन
61	किसी डेवरी और दूध में उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी बिनांक निगम, जिसमें कपडे से निर्मित, बिनीनी भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेनिटिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी सुरिपर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी सुराई, बडी, पापड तथा ऐने ही बाथ पटारी प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी कालुनी एवं अन्य वस्तुओं के विनय संघर्षत कार्य में नियोजन
70	किसी कपडे, पारों में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सृचना संघीगिधि कार्य में नियोजन
	भाग - दो
7	दृष्टि में नियोजन

(स्वायं कुमार सिंह)

अभ्यायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के ब्योजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर साल की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सदस्य ने एक दिन का वेतन संगणित करना है तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में उल्लिखित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सीधे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य संबंधी रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विलुक्त आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा आब तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी दिग्गं एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए अग्रज तकनीकी या व्यवसायिक परिशिष्ट या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित हापूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों का धनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इन पाँच अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके सम्मान्य नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर वह संशुद्ध जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का वास्तविक जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए वास्तविक लेने।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (कमंक 1) सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित लिए अनुसार विक्रम टिप्स के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहाँ कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सैतनिक अवकाश देने पर सम्य-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एका से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों का बेहतर दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताने गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे धरो के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिक एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(स्तवक कुमार सिंह)

अस आद्युक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की

उदाहरणात्मक सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), मिश्री, स्वीपर, क्लोनर/हेल्पर, अप्रतिष्ठित माली, घपराती/प्यून/ धूल्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, घन्नासी, वीकल अटेंडेंट, पद्मेदार, कुली, डाक खान, कोथमेन, चॉटल क्लीनर, बंटर, सफ़ैस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टमैन, डेल्वर, प्रेसमेन, छेडेवाला, सिलाई ऑपरेटिंग, उदिया कार्य करने वाला, चपराब, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वॉर्ड, बालवाडी आया, बाम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्लांट पर घड़ी पिलाने वाला, टेलकटर, जिन नुक्कटम, जिन मुक्कटमी, कपास कैरियर (डालनेवाला), मनी वेज फ़िलर, लिटकेरियर, कोटतशीट्स कैरियर, कपास विकर, जिन पीडर, झाड़ूवाला, घोड़ेवाली, वाशर, वाहन की सफ़ाई करने वाला, सफ़ाई कार्याचारी, कोसा फलों की निम्ती करने वाला, कोसा फलों को छानने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नक्की कटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करना वाला, गन्ना डलने वाला, बोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईवाले के सहायक, हवादार, प्राथमिक लेबा पैकर, बोरी भराने, छापाई, हुनाई, वेजिंग लडाई या खाली काराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुराक्षकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वाई सफ़ायर, पैटर, सजापट करने वाला (महिला एवं पुरुष), वायरमेन, श्रमिक (किक्लस), सेटम (किक्लस), चादर में गेटा लगाने वाला, हज्जाल, रेजा, हड्डी ढाने तथा साफ़ करने वाला, मिट्टी ढाने एवं भरने वाला, फ़ेम का काम करने वाला, झोण्डोमेन, वायरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड देलने का कार्य, पैलबॉय, पैटर, इस अटेंडेंट, घागा कटिंग, चैकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफ़ाई पुनाई वाला, लिफ्टर, सफ़ाई कारख़ाना तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, क्लरपेट ड्रसर, प्लस्ट वाशिंग/सफ़ेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, ट्राईविस्ट, क्लर्क, मोहॉरर, सहायक मिस्त्री, साईनमेन, सहायक पिंजली मिस्त्री, सहायक ऑपरटर-वाटर फ़र्न, कोबलर, हाफ़ प्रेसमेन, विल मैन, सहायक मेकेनिक, सहायक फ़िटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिस्टर, सहायक वाइन्डर, सहायक कारपेंटर, सहायक फ़ेन्टर, सहायक रिपर, सहायक बनेमस्त्रिक, सहायक मॉल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक प्लम्बर्/ड्रिंजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शंपरमेन, सहायक पैटन मेकर, सहायक वीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फ़ीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जाय करने वाला निरीक्षक, वातामेन, फायरमेन, लिफ़िक, पन्थ अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, फ़ेरीमेन, व्हायटलिन, क्लेनिंग, प्रेसरी हायपर, टेबलेट मशीन ऑपरटर, ब्रॉसल फ़िलर, केप्सूल फ़िलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुक्कटम, आईलमेन, गेट, रैड मजदूर, वायरमेन, एफ़तपेला मेन, मशीन अटेंडेंट, विल क्लेन्टर, विल थर्न, रिगाइंडर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईवा, पेटीमेन, सहायक सेफ़्टमेन, मसालाची, सहायक मेसन, गारेवाज, मिट्टी गूंथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे का पिंजली पर ईट जमाने वाला, मशीन फ़ोनर, स्टीपर फ़ोनर, ड्रेडप्रेसर, पाटाफ़ेल्डर, गांठवाला, सहायक जोपर, सहायक रुथिड जगपट पंचर/ग्रास पंचरवात, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से दिवस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फ़ोरमेन के सहायक, शक़र बनाने वाला कारीगर, फ़िनिशिंग कार्य में सहायक, कंसाई कर्मचारी, उन कंसाई कार्य के कर्मिने, कटर होजिबरी, चीपर, सहायक टैन ऑपरटर, सहायक साटैर, मूशी, फ़ॉर्मसी अस्सिस्टेंट, एक्सरे अस्सिस्टेंट, ई.सी.जी. अस्सिस्टेंट, अस्सिस्टेंट क्वाड्रन्डर, अस्सिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिंक्रुटरी सुपरवाईजर, कोषिस्ट, अस्सिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरटर, मशीन अटेंडेंट, पन्थ खलानी, डिपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किक्लस शीप श्रमिक, पंच ऑपरटर एवं गैकसमूलर, किक्लस श्रमिक, बनेजर पैट

सिग्नल, क्रियमान, कियन्स अल्लोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक कण्डसा ऑपरेटर, विपर, मेकेनिक कज हेल्पर, कण्डसा मेकेनिक कज हेल्पर, सहायक शान्तर, सहायक मशीनमेन, विडी सहायक, सूत स्टॉफ इंधार्ज, मशीन ऑपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, ड्राफ्ट्समन सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक भाडी, सहायक कुक, युक्ति कर्मी, शेजर, अन्य, पैकिंग वाले, लेअर मेल, शर्ट के फलने बिछाने वाला, लुप्ता टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, अतिस्टैंट सुपरवाइजर, सहायक कैमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक जॉइंट कजर टैका, माइक्रोस्कोप आर्टिस्ट, एके सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धशाल कर्मचारी आदि।

कुशल -

जोताखोर, सोपेल एण्ड शैल लाईन सोपाईल फ्रेम ऑपरेटर, कैमिस्ट, डिजिन मशीन ऑपरेटर, मेसार्, फ्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुशासन नण्डल से लायसेंसधारी), कंठिस्ट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलेर मास्टर, एक्सडन्टेड, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, वॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, माल्टर, जे.सी.डी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, पालक(शरीर वाला), अट्टी पालक, टेक्नी कालक, ड्रिनर, गार्डनर, मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, पेशर मेन, राईस मिन्त्री, सुपरवाइजर, क्लनसाक, कुक, तंदूरी, टी-मैन्टर, आर्षर मास्टर, कपेनर, मिठाई बनाने वाला कर्मीपारी, पोह बनाने वाला, कब्बोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पब्लिक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या मद्यालयीय, ऑपरेटर पाटर बक्स, उपयोजी विज्ञानी, वाचनालय सहायक, सिनियर गार्ड, फायरमेन, क्लिटर इंधार्ज ऑपरेटर, मुनीन, गुड पॉलिशर, खोर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, एलेक्त्रिसिय, शेपर, क्लनवाइजर, रिफर, फ्रेममेन, अपहोलन्टर, कारपेंटर, टैलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हेमरमेन, गॉसर, प्रयोगशाला तकविशियन/ लैबोरेटरी टेक्निशियन, शोधक, वेल्डिंग, प्रयोगशाला सहायक, टैक्सिफर, प्लाण्ट अटेंडेंट, माटरमेन, अट्टी वाला, पेंटर, फोटोप्लेयी ऑपरेटर, लॉडर्स, अक्लंडर्स, लाईन फेकर्स, बिजली मिन्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंधार्ज, फ्रेम मशिनिस्ट, क्लोई इंधार्ज, कम्पेस ऑपरेटर, लोन्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिब्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर लम्पाउण्डर, सीनियर नेन, रेकार्डशिपर, ओ.टी.मेकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रवास प्रभारी(वाहन), दर्जी, गैसर मिन्त्री, तकसीली कार्य करने वाली व्यक्ति, हाईपर, मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनकर, चरखा चालक, ब्रास्टर (करीगर), जैकब वुनकर, बुनकर, फ्रेमजूम मास्टर, वीसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेबापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, गुड पॉलिशर, इन्कमशीन इंजर, स्केपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मेकेनिक, कैमिस्ट/ लैबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लाबोरेटरीन (बिद्यालय), पाईपमेस ऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंधार्ज (मेड, फिजिन), नेट, जॉट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक कज ऑपरेटर, वेल्डर, पेटस मेकेनिक कज ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्टि सिब्युरिटी गार्ड, वाइरिसर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, ड्रायविशियन, मसजद, केप्टन, बरमेन, स्ट्यूडेंट, बेकरी कारीगर, ओवर/अट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गसाई-पैटन, लहर बिचनी, आभूषण जडई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिटोप्लानिस्ट, बाली, जडा एक्सपर्ट, इट्टी एट्टी ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूथने वाला, पैकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जेनीटिविनिस्ट, रिफाइन्डर, हेडक्लर्क, सर्वेयर, गार्ड, सुपरवाइजर, सांटर, गार्डनर, नेवेलाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एन.टीक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रॉ इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोमेट्रिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सॉल्यूटिव ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल वर्गधारी आदि।

(ऐसा वर्गधारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस ध्येयताय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हों)

किसी मद्रासातय (ट्रिनिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकअन्टेट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, फर्कर आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोकॉपीर, मिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, क्रिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, मिथोऑफसेट कॉपी प्रेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथरलेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

कैमरा ऑपरेटर, कमांडियन आर्टिस्ट, इन्फ्रामेन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएथर, इन्वकलेथर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाइप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाइप मेकेनिक, रोटीरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रोडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

फर्कवाजिटर, टाइपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिम्प्लेक्ड प्रेसमेन, गिल्डर फारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएथर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर, मशीनमेन, कटर, बाइन्डर, सिविंग मशीनमेन, रलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

लियोओफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, यान्त्रिकमेन, टैक्सोलेटर, योक्सोलेटर मशीनमेन, असिस्टेंट प्रेसनेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लियोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, येनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कापी प्रेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट्टा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मकीयर, ट्रेसर, फॉल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, वाक्स पंचर, हेण्डबोक्स या इन्वोलुप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आधरेटर, असिस्टेंट एयर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, लम्बर या पेजिंगमेन, घेकर घुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपसेटर, रोलर मेकर या फास्टर, इंक ग्राइन्डर, फरफरेटर, लेयर पंचर, रूलिंग फिडर, विजिंगमेन, ड्राययर, इकैम्प असिस्टेंट, फाउण्ट्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ओपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाइनोंबारमेन, रोट्टल सप्लायर फीडर स्टैरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर ग्राइडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आबिजलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर फास्टर, पेपर सप्लायर, फास्टिंग बाय, रोलर फास्टर, योकीटार, प्यूज, माली, लियो साधारण ओफसेट तथा रोट्टा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

(सत्यंज कुमार सिंह)

श्रम आयुक्त,

सध्य प्रदेश, इन्टॉर


**अनुसूची - 3
विभिन्न अनुदानों में विवरण**

जिला एवं सत्राधीन क्षेत्रों में विभिन्न विधायकों के नामों पर अनुदानों के आवक बंधों में।

अनुदान संख्या		विधायक का नाम		वर्ष		विधायक का नाम		अनुदान संख्या		विधायक का नाम		वर्ष		विधायक का नाम	
संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम	संख्या	नाम
वर्ष 2021-22 में 01.03.2022 तक															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0700	150.00	3625	127.88	3675	127.88	373	373	6504	250.00	3675	141.20	10175	496.85	38	
8913	224.42	3678	128.98	12000	462.85	844	844	8615	374.42	3675	152.88	10910	477.31	47	
2037	871.42	3625	155.47	10682	436.85	419	419	7057	271.42	3675	152.88	11037	464.31	47	
5755	574.42	5575	128.72	13380	511.45	714	714	3081	374.42	3675	152.88	12780	256.31	32	
कुल अनुदान															
0188	872.88	3675	155.47	13180	511.92	512	512	3688	377.50	3675	152.88	14880	426.38	52	
93-5	580.88	3675	128.92	13004	504.12	505	505	1478	460.60	3675	152.88	13363	513.58	41	
5775	124.42	3575	114.42	10060	405.85	404	404	8438	324.42	3675	152.88	10470	477.31	37	
कुल अनुदान															
8430	204.82	3675	128.92	12060	461.85	464	464	8435	324.42	3675	152.88	12810	477.31	47	
7057	274.42	3625	138.42	10082	410.85	411	411	7057	271.42	3675	152.88	10188	464.31	47	

टिप्पणियाँ -

1. अ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.


 जिला कलेक्टर
 बलमुखा,
 जिला जालंधर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वेष/प्राच/2024/ 14817-15066 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, संशोधित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया। माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87-100)
जुलाई, 2023	1215
अगस्त, 2023	1224
सितम्बर, 2023	1226
अक्टूबर, 2023	1241
नवम्बर, 2023	1253
दिसम्बर, 2023	1257
औसत सूचकांक	$7416 \div 6 = 1236$ (1236)

तथा इनका औसत 1236 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोज्मों के श्रमिकों के लिये औसत निवृत्त ध्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोज्मों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्व./पांच/2024/148/7-15066 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 रहा है। गत छ. माह का औसत 1180 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1180 के उपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मात में रुपये (6X56) = 336/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1236-768) = 468 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (468X6) = 2808/- प्रतिमाह या (2808÷30) रुपये 93.60 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2808 = रुपये 8158/- तथा 8158÷30 = रुपये 271.93 (राउण्ड-अप रुपये 272/-) प्रतिदिन (30 दिन के मात से) दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024/

15067-316

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर इयूरो, शिमला से प्राप्त कर, में स्वतंत्र कुम्हार सिंह, अनायुक्त, मध्य प्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए क्रमानुसार प्रकाशित करता है:-

	माह / वर्ष	अधिल भारतीय बोडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100)
1	जनवरी, 2023	8730.09
2	फरवरी, 2023	8723.51
3	मार्च, 2023	8762.95
4	अप्रैल, 2023	8822.12
5	मई, 2023	8854.99
6	जून, 2023	8966.74
7	जुलाई, 2023	9183.68
8	अगस्त, 2023	9150.81
9	सितम्बर, 2023	9039.06
10	अक्टूबर, 2023	9098.22
11	नवम्बर, 2023	9144.24
12	दिसंबर, 2023	9124.52
	योग/ औसत सूचकांक	107600.93 ÷ 12 = 8966.74 (8967)

तथा उपरानुसार इनका औसत 8967 घोषित करता है, जो कि किसी सम्बन्ध (जिसमें बोडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्जुअल एवरेज वास्ट ऑफ लिविंग इडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक-4(सी)-2013-ए-सौलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भन्दा-बोडी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुम्हार सिंह)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, मॉपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-15-ए, दिनांक 5.6.1997 (स.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, मॉपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (स.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दलों को अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक देय है।

अलायुक्त कर्जावर्ध, सच्य. प्रदेश शासन, इन्टॉर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्ये/पांच/2024/15067-
नम्बर 316 दिनांक 24/05/2024 के अनुसार जनवरी,2023 से दिसंबर,2023 तक की अपधि में अंकित भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8967 रहा है, इस तरह अंकित भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960-100) के आधार आंकड़ों के औसत के उपर $(8967-5299 = 3668$ पाइन्ट) 3668 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी के भाज से रुपये 36.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - ई

- किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	व्यवसतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	रुपये 110.68 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का जोन रुपये 619.81 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 619.81 का भुगतान, 3स सप्ताह में किया जावेगा।

नोट - एक हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को वॉलन वीट 9 रुपये 68 पैसे (8.33 प्रतिशत), अंकित उपभोक्ता के एवज में भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5 प्रतिशत), एवं अधिक्य निधिप बाधक नियोजन का अंशदान 11 रुपये 52 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस संगत देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजन का अधिक्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बनाने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अपधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं अधिक्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपराल सुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मरगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2- रिटायर्ड श्रमिक			
अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ी को बताने या चिपकाने संबंधी कार्य	₹. 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 89.07
2. यदि कट्टे पर दोनो ओर लेबल लगाया जाता है।	₹. 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 92.94
ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	₹. 45.95 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 82.64
2. झिल्ली लगाना	₹. 33.54 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 27.51 (03 पैसे प्रति 4000)	रुपये 61.05
3. लेबल मरगाई	₹. 12.84 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.01
4. पूजा उलाना या चिपकाना	₹. 13.25 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.42
स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीडियाँ का कट्टा हो :-			
1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	₹. 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर)	रुपये 339.36
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31
3. झिल्ली तथा खड़ी झिल्ली लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31

नोट - बीड़ी विभाग के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन जाने वाले कर्मचारियों जैसे बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, लेबलिंग विभाग तथा डिपॉजिट का खर्च करने वाले, अट्टी वाला रसोइया, ड्रायर (मारी कान्हा), लेबल वाला, एकाउन्टेन्ट, मनीम, कैशियर, गार्ड/डन कीपर, स्टोर कीपर, टाउचिस्ट, बिलमैन, फर्क, भूत, धोबी/द्वार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/चालक (भारी वाहन), एकउन्टेट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, मोबाइल कीपर ।
- 2-अर्द्धकुशल- बीड़ी छटने तथा जाच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (सूफे वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।


(स्वतंत्र कुमीर सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी






UNCOMPLY CATE
Simplifying Compliance

Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.04.2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2024

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	36.68
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	05.53
4.	Total Wages	116.21
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	9.68
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	11.62
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	137.51
8.	Total Wage + Bonus	125.89
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-)	11.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	114.27


 (Swatantr Kumar Singh)
 Labour Commissioner,
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/ 15317-566 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर च्युरो, शिमासा से प्राप्त कर नै, स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

क्र.सं.	माह / वर्ष	अधिल भारतीय बीटी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जुलाई, 2023	402.34
2	अगस्त, 2023	400.90
3	सितम्बर, 2023	396.00
4	अक्टूबर, 2023	398.59
5	नवम्बर, 2023	400.61
6	दिसम्बर, 2023	399.74
	योग/ औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीटी समाप्त भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्दोह घन्य सूचकांक (एन्व्युअल एवरेज बसट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-2013-ए-सोमर, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील माहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन घटने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तन्त्रांक (जिसमें बीटी बनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित बर्षों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक रूप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एन-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एन-4(सी)-1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसम्बर, 2014) के अंतर्गत किसी तन्त्रांक (जिसमें बीटी बनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरो की अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, जध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024 ²⁰²⁴ 15317-566 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसम्बर-2023 तक की अवधि में अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माही का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर $(400 - 386) = 14$ प्वाइन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीटी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर वजन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के बजाय रुपये $25 \times 14 = 350$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400 - 239 = 161$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25×161) रुपये 4025/- प्रतिमाह अथवा $(4025 \times 26) =$ रुपये 154.81 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 9100 रुपये का $9100 - 26 \times 350$ रुपये प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

कर्मचारियों के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंजूरी अर्हता
सहित दिनांक 01.04.2024 से निम्नानुसार देय है :-

(आकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंजूरी अर्हता		कुल वेतन		रुपये राज में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	दैनिक दर
1	सम्बन्ध तथा हेतुपूर्वता देने पर वैधता प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, सम्बन्ध मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, माइन ड्रायवा (बालक) इनके वाहन, टावरिस्ट, फलक विभाग	5075	195.19	4025	154.81	9100	350	350
2	दुक में मान चढाने या उतारने या बंडिचरी के छूटी पर भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, मृत्यु, पौरीदार	4945	190.19	4025	154.81	8970	345	345
3	इन्स्पेक्टर (पालक) भारी मान, एम्बुड्रेंट, जुबीन, फेरोपेन, स्टीर कीपर, मोसाडकीपर, इंडकल्पो	5225	200.96	4025	154.81	9250	355.77	356

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अर्थात् उससे अधिक पैसे ही लें, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का घटते किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का घटते किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिष्कृत किये अनुसार विद्यमान दिवस के संबंध में पारिभाषिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील मंजूरी अर्हता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लैबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक शक्ति के लिये अधिनियम भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) पर आधारित है। 5299

सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना ही, तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
- 6- जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल लम्बाई, लंबवृत्ता, धारा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करते वह अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज से कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हों, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- अग्न, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षीम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के अन्तर्गत है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(सत्यन कुमार सिंह)

कामायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्व/पांघ/2024/ 15567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त पदवर्ग अधिकारियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के तब ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किये, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर दिनांक माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
शीर्ष / औसत सूचकांक	$2398.18 \div 6 = 399.70$ (400)

तथा दिनांक उःमाही का औसत 400 घोषित करता है, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कान्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्दिष्ट पारिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप अगरवती उद्योग

श्रम विभाग, नेपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य, प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरवती उद्योग में नियोजित श्रमियों को न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/3अन्वे/पाच/2024/15567-816 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मंत्र छ: जारी कर औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण मंत्र छ: जारी में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उधर $(400-386) = 14$ प्रतिशत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिलेके परिणामस्वरूप अगरवती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 14 = 350$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उधर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400-241=159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $25 \times 159 = 3975$ प्रतिमाह या $3975 \div 26 = 152$ रुपये 88 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरवती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 159 पर $(159 \div 4 = 39.75)$ रुपये 39.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरवती उद्योग में नियोजित श्रमियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीकित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरवती रोलर्स (1000 अगरवती रोल करने पर) साधारण	21.40	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 61.15
(ब) सुगणित (सेंट्स)	22.00	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 61.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिबन्ध प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीकित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(38) निम्न वजन के अनुसार अगस्त्यती गिजक, बटर वेपपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में अगस्त्य पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोपेज या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 52.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.98
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 83.05
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 105.14
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 132.26

सिलोपेज या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300	रुपये 85.47

			(33 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 86.95
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 89.50
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 130.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 133.97

(इ) निम्नानुसार पुंगरी बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अवस्थाओं को मिलाकर किसी लपेटना, पुंगलियाँ में भरना, लेबस या सिलोपेज या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोपेज या जिलेटिन के

1. 10 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 15.98	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.01
2. 12 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.83
3. 23 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.10
4. 50 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.99
5. 100 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
6. 200 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400	रुपये 68.45

(25 पैसा प्रति बिन्दु)

(ई) सादर त्रिकोण में अंगरबाली रखकर बन्द करना।

1. 5 अंगरबाली के लिए	प्रति सेकंडा रु. 3.85	रु. 6.36 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 10.21
2. 10 अंगरबाली के लिए	प्रति सेकंडा रु. 4.44	रु. 7.95 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 12.39
3. पुकली ब्लाज के कागज (सोल्डिग पोपर्स)	प्रति सेकंडा रु. 36.34	रु. 11.13 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 47.47

UNCOMPLY
Simplifying Compliance

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.04.2024 से देय

(आकंटे रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिचर्याधीन महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्य-अप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुष्प बगाने वाला, मसाला भरने वाला, मूल्य वरीयदार.	5939	228.42	3975	152.88	9914	381.31	381
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोड़ने वाला.	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
3	एकडब्लिट, केशीकर, गोकुल वीकर, शिन्धी, शुक्कर, पेटी बनाने वाला.	8415	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477

नोट - उपरोक्त उपाग से संबंध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, शिन्धी, शुक्कर, पेटी भरने वाला, मसाला तोड़ने वाला, एक्डब्लिट, केशीकर, गोकुल वीकर, टाइपिस्ट, क्लर्क, मूल्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन पुराना, अर्द्धकाल, एवं अर्द्धकाल वर्गों की मजदूरी के अनुसार थिनिमित्त की जावेगी।

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रुपये के गुणाओं को राज्य-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एच 9-7-2006/नियम/घर, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अधिक द्वारा अधिक पैसे हो ली, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिस्थित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवृत्त किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)-ए)

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिचर्याधीन महंगाई भत्ता (पी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अधिक भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके परधान सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक क्रम के लिये प्रतिशत समुच्चय अधिक किया गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति दिवस प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक 01 मही जुलाई से दिसंबर

तथा जलदारी से जुन, जैसी भी स्थिति हो, के अंतगत सूचकांक के आधार पर की जायेगी और कजरा: 01 अप्रिल तथा 01 अक्टूबर से दिये होंगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील महसूबई कजरा न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त अंतगत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायेंगे।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जायेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की चारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिफलित किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में वारिभक्ति भी सम्मिलित होगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

कमावुपत,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतगत सक्षम प्राधिकारी

UNCOMPLY
Simplifying Compliance

श्रमाप्युक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक. 6/11/अन्य./पांच/2024/ 15817 - 16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दर, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई थी, जो अधिल भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक 241 (जून, 2014) 2001-100 को आधार मानकर संवद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विधायकता अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 35, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दर अभी तक शेषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनिश्चित करने हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की छः माहों का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में माध्य कितने गये अधिल भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के उपर (400-386) = 14 औसत वित्तीयों की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान-उत्पन्न न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा श्रमिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.सित्.2024 को पारित स्वगत आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दर निम्नानुसार रहेगी-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (26 दिन के मान में) (अण्डा इकाय में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की प्रतिदिन न्यून
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

श्रमिकों के स्केट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान में) (अण्डा इकाय में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की दैनिक दर प्रतिदिन न्यून
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, गट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनीम, लैकावर, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलर, जिम्मी पाईन्टरी	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कटर्स	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
पूर्ण वेतन							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अर्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

अनुसूची - क

राज्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन श्रेणी कर्मियों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

श्रेणियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अर्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2023 तक जारी का कृषि शक्ति उपभोगक अल्प स्पर्धाक का औसत 1236 है, इसके पूर्व की 30 मही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 किन्तुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा - (30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

श्रेणियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीड़ी रोजर (1000 बीड़ी बक्खने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीड़ी रोजरने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमियों को योजना पेटे 9 रुपये 68 पैसे (8.33%), अतिरिक्त अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमियों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी रोजरने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमियों से 11 रुपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 62 पैसे उपरोक्त शुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरवल्ली नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छ माहों में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एक (अगरवल्ली नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरवल्ली रोजरने (1000 अगरवल्ली रोजरने पर) साधारण दर	21.40	रु. 39.75	रुपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेटेट)	22.00	रु. 39.75	रुपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई थी। से सर्वोत्तमति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पेश तथा रुपये के गुणकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसंग प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर देनिक दरे निर्धारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिचय क्र. एच 9-73-7/2006/नियम/चार, दि. 10 सितम्बर, 2008 में 50 पैसे का उससे अधिक पैसे ही नो, इन्फ्लेक्शन इन्डेक्स रुपये में पूर्णकित किया जाएगा और 50 पैसे की कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.एनएच दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अग्रवाल अधिष्ठाता इन्डु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी बन गई है।

(स्थायन कुमार सिंह)

बसायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

पेस विजति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से लागूवर्ती वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को दैन्य परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोज्जनों में क्वॉरंटर श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की जाती है, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संघट्ट की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की छ:माही में कुल सूचकांक का औसत 400 रहा है। इसके धरण गत छ:माही में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के ऊपर 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 14 = 350.00$ रुपये (तीन सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3975/- प्रतिमह जयथा रुपये 152.88 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अधिसूचित नियोज्जनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10125/- या प्रतिदिन रुपये 391.35, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 11032/- या प्रतिदिन रुपये 424.31, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12410/- या प्रतिदिन रुपये 477.31 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13710/- या प्रतिदिन रुपये 527.31 पैसे देय होंगे।

कृषि नियोज्जनों में गत छ:माहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 336/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 8158/- या प्रतिदिन रुपये 271.93 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी चेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित रुपये 110.88 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पर्ट रुपये 9.68 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के धण में मण्ड सुगृहण रुपये 05.53 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि गारंटे नियोज्जक का अंधदान रुपये 11.52 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 137.51 पैसे देय होंगे। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोज्जक का भविष्य निधि अंधदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी चेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 114.27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरवल्ली नियोज्जनों में गत छ:माहों का औसत 400 रहा है। जो इसके पूर्व की छ:माहों के औसत 386 से ज्यादा है, इसके कारण गत छ:माहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-241) 59 औसत बिन्दुओं एवं अगरवल्ली नियोज्जनों में भी अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-386) औसत 14 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर स्वधारण अगरवल्ली के लिए रुपये 61.15 पैसे तथा सुरक्षित अगरवल्ली के लिए रुपये 61.75 पैसे प्रतिहजार अगरवल्ली की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तय्ये रुपये के गुणवर्ती को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/घार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अधिक अथवा अधिक ऐसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/घाघ/2024/ 16067-069
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 24/5/24

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सहायक दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- उपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(स्वातंत्र पुजार सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

UNCOMPLY COMPLIANCE
Simplifying

वन आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2024/

16070-110

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर सूचनाएँ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके एच क्रमांक 303/अन/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनाएँ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सार्वजनिक प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन सहायता विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वस्थ एवं यात्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)।
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प. इन्दौर।
- 17- महासंचालक, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप निरीक्षक, शासकीय प्रादेशिक भूदण्डालय, ग्वालियर, म.प. की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित हुए अनुरोध हैं कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, चम्पन मयल, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, अल्पसंख्यकी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- सचिव, राज्यालय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- सचिव, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- सचिव, मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, वृद्धि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जन सहायता विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वस्थ एवं यात्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर वन आयुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक/समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वायत्तता एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त श्रम पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, ज.प्र.भाषाएं एवं अन्य स्तरीय कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंटिल कर्मकार कल्याण मंडल, मटसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लैबर ड्यूरी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनी में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील माहगाह भत्ते सहित पत्रावलीय कराने के लिए जिलों में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

कलायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वेष/पांच/2024/

16111-360

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सुरेता, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सुरेता, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सुरेता, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सुरेता, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजित लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र. अवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्टेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर/ड्यूरी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2024 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत मान.उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ इन्टर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई, 2024 को पारित स्वयंसेवक अधीन के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सम्बन्धित नियोजकों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई हैं। उपर्युक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्टर

UNCOMPLY
Simplifying Compliance